कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27/09/2018

क्रमांक 4332/1102/आउशि/शा–2/18

सूचना

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2017 के विभिन्न विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों के अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत आपत्ति दर्ज की गई है, वे अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज यथाशीध्र **कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल** को **केवल पंजीकृत डाक** द्वारा प्रेषित करें। इस कार्य के लिए व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **अन्य पिछड़ा वर्ग** जाति का प्रमाण पत्र क्यू.आर. कोड युक्त अर्थात Digitalised होना आवश्यक है, जिन अभ्यर्थियों ने ऐसा प्रमाणपत्र नहीं दिया है वे ऐसा जाति प्रमाणपत्र शीध्र प्रेषित करें।
2. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का क्यू.आर. कोड युक्त (Digitalised) जाति प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना बना हुआ जमा किया है तो ऐसे अभ्यर्थी को वर्ष **2017–2018** का आय प्रमाण पत्र संलग्न करना है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग **नॉन क्रीमिलेयर** के जाति प्रमाण पत्र के साथ वर्ष **2017–2018** का **आय प्रमाण पत्र** सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक है।
4. यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आता है तो उसे **गत तीन वर्षो यथा 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18** की आय से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी **आय प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराये।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही वे ही अभ्यर्थी करें जो इस श्रेणी में आ रहे है, शेष अभ्यर्थियों जिनके द्वारा पूर्ति की जा चुकी है पुनः अभिलेख भेजने की आवश्यकता नही है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश